

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़
आदेश क्रमांक: 2205-23/86-95-वि. T।2। दिनांक 21.8.95

गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, पलवल [हरिदाबाद] को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से मिडिल स्तर की संबंधता लेने हेतु अनावृत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनावृत्ति प्रमाण-पत्र वापिस लिया जा सकता है।

नवराज सिंह
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

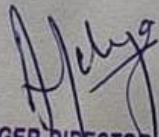
सू 0 क्र०-सम-

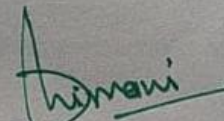
दिनांक: 21.8.95

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, हरिदाबाद को उनके यादी क्रमांक जी-2-95/3578 दिनांक 8.8.95 के संदर्भ में।
2. प्राचार्य, गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, पलवल [हरिदाबाद]।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092.

सहायक निदेशक विद्यालय,
सू: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
21.8.95


MANAGER-DIRECTOR (ADMIN.)
GOLAYA PROGRESSIVE PUBLIC SCHOOL
PALWAL


Principal
Golaya Progressive Public School
PALWAL

आचार्य निदेशक मैकेनिकल शिक्षा हरियाणा अहोरात्र ।
आदेश क्रमांक 15/28-96 वि. T13 दिनांक, पणडीगढ़ 29.8.96.

गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल ^{पलवल} फरीदाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से एडमिशन कार्ड की सम्पन्नता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्य पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की विदायतों को पालना करता रहेगा ।

विभागीय विदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

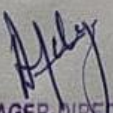
मुख्य निदेशक मैकेनिकल शिक्षा, हरियाणा,
अहोरात्र ।

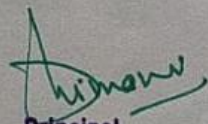
पु. क्र. -15/28-96 वि. T13 दिनांक, पणडीगढ़ 29-8-96

इसकी रज प्रति निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. शिक्षा विभाग अधिनारी फरीदाबाद को उन्नी जारी क्र. गे.-2-96/संलग्न दिनांक 31.7.96 के संदर्भ में ।
2. प्राचार्य, गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल ^{पलवल} फरीदाबाद ।
3. निदेश, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 3 कम्युनिटी सेंटर, प्रताप नगर, नई दिल्ली - 110092.

B-113-4.56
मुख्य निदेशक मैकेनिकल शिक्षा, हरियाणा,
अहोरात्र ।


MANAGER-DIRECTOR (ADMIN.)
GOLAYA PROGRESSIVE PUBLIC SCHOOL
PALWAL


Principal
Golaya Progressive Public School
PALWAL

कार्यालय

निदेशक

सेकेंडरी

शिक्षा हरियाणा

चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/134-2000 वि. 22

दिनांक चण्डीगढ़ 29-3-2000

गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल पलवल {फरीदाबाद} को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10*2 स्तर की संबंधिता लेने का हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

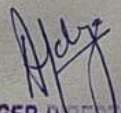
पी.के. महापात्र
निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़

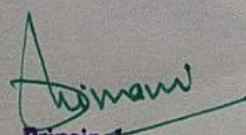
पृष्ठानक क्रमांक सम दिनांक 5/4/2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके यादी क्रमांक एच.ए./2000/2433 दिनांक 21-3-2000 के तन्दर्भ में।
2. प्राचार्य, गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल पलवल {फरीदाबाद},
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार 8 नई दिल्ली 110092.

5/4/2000
अधीक्षक विद्यालय-1 5/4/2000
से: निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़।


MANAGER-DIRECTOR (ADMIN.)
GOLAYA PROGRESSIVE PUBLIC SCHOOL
PALWAL


Principal
Golaya Progressive Public School
PALWAL